दिनांक-16.06.2026 को अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में विभिन्न प्रक्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

समीक्षा बैठक मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आहूत की गयी, जिसमें सम्बंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। बैठक के प्रारम्भ में दिनांक-19.05.2026 को सम्पन्न पूर्ववर्ती समीक्षा बैठक (पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024/420) में निर्गत निदेशों के अनुपालन की कंडिकावार समीक्षा की गयी। तदुपरांत केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO), समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र (FMISC) द्वारा क्रमवार प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण पर सम्यक् विमर्श एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश निर्गत किये गये :-

(क) केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना

1. समीक्षा के क्रम में अवलोकित हुआ कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में Vetting/रूपांकण के कुल 85 प्राप्त प्रस्तावों के विरुद्ध 52 निष्पादित एवं 33 लंबित हैं (बाढ़ नियंत्रण-12, बाँध एवं गेट-15, नहर एवं नहर संरचना-06)। तदालोक में अभियंता प्रमुख महोदय द्वारा लंबित प्रस्तावों की प्रगति में अपेक्षित तीव्रता न होने पर निदेशित किया गया कि समस्त 33 लंबित प्रस्तावों के निमित्त संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित अभिलेख/Hydraulic Data/जलीय आँकड़े प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर, प्रत्येक प्रस्ताव का निष्पादन दिनांक 31.07.2026 तक सुनिश्चित किया जाय। विभाग स्तर से भी मुख्य अभियंताओ को वांछित आँकड़े केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना; एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना)

2. टाल विकास योजना, ग्रुप सं०-03 अंतर्गत टाटी नदी एवं मोरियारी नदी पर एण्टी फ्लड स्लूईस (AFS) के रूपांकण के Vetting की समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित AFS के U/S एवं D/S Wing Wall को छोड़कर शेष समस्त घटकों का Vetting सम्पन्न हो चुका है तथा Wing Wall की Stability Analysis की जाँच प्रक्रियाधीन है। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि Wing Wall की Stability Analysis प्रचलित प्रासंगिक IS Codes/CWC मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्ण कर, उक्त Vetting दिनांक 31.07.2026 तक निष्पादित किया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

3. मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अंतर्गत पश्चिमी नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 19.05 (वि०दू० 0.00 से 62.50) तक नहर पुनर्स्थापन के विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) हेतु संरचनाओं एवं कैनाल सेक्शन के रूपांकण की समीक्षा में अवगत कराया गया कि 04 अदद नहरों का Lining एवं 07 अदद DLR Bridge का रूपांकण निष्पादित किया जा चुका है (कुल 12 के विरुद्ध 11 निष्पादित, 01 लंबित)। तदुपरांत निदेशित किया गया कि अवशेष 01 संरचना के संबंध में मुख्य अभियंता, सिवान से Controlled Inlet Structure के स्थान पर Cross-Drainage Structure की संभाव्यता पर तकनीकी मंतव्य एवं संबद्ध Hydraulic Data दिनांक 30.06.2026 तक प्राप्त कर, प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अवशेष रूपांकण कार्य सम्पादित किया जाय। इस हेतु अपेक्षित समन्वय अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2 के स्तर पर भी स्थापित किया जा सकता है।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2; एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

4. राज्यांतर्गत विभिन्न नदियों/धारों/नहरों पर पुल निर्माण एवं अन्यान्य कार्य हेतु केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना स्तर पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) हेतु कुल 67 प्राप्त प्रस्तावों के विरुद्ध 27 निष्पादित एवं 40 लंबित पाये गये, जिनमें अधिकांश प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर पर अपेक्षित स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन के अभाव में लंबित हैं। तदालोक में निदेशित किया गया कि अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना द्वारा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से पत्राचार करते हुए, लंबित प्रस्तावों का स्थलीय निरीक्षणोपरांत सुस्पष्ट प्रतिवेदन केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय, ताकि समस्त 40 लंबित प्रस्तावों का निष्पादन दिनांक 31.08.2026 तक सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना; एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना)

5. केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना अंतर्गत सम्पादित कार्यों के सतत् अनुश्रवण हेतु FMISC से समन्वय स्थापित कर Portal विकसित करने संबंधी पूर्ववर्ती निदेश (कंडिका-07) के अनुपालन हेतु तीन पदाधिकारियों को नामित किया गया है तथा FMISC विशेषज्ञों द्वारा पोर्टल विकास कार्य प्रक्रियाधीन है। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि पोर्टल का विकास कार्य इस बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक 16.07.2026 तक पूर्ण कर पोर्टल को क्रियाशील किया जाय।

(कार्रवाई- संयुक्त निदेशक, FMISC, अनिसाबाद, पटना; एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

6. क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रमंडलों एवं संबद्ध अंचलों द्वारा वर्ष-2026 में बाढ़ निरोधी कार्यों से संबंधित नमूनों के संग्रहण एवं परीक्षण की समीक्षा की गयी। जाँचोपरांत अनुतीर्ण पाये गये नमूनों (यथा–पटना-229, कटिहार-133, वीरपुर-87, गोपालगंज-10 इत्यादि) की संख्या के दृष्टिगत निदेशित किया गया कि प्रत्येक अनुतीर्ण नमूने की सूचना, परीक्षण-परिणाम निर्गत होने के उपरांत संबंधित कार्य प्रमंडल को तत्काल लिखित रूप से प्रेषित कर, प्रचलित विशिष्टियों (Specifications) के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय। साथ ही, नमूनों के परीक्षण एवं परीक्षण प्रतिवेदन के निर्गमन हेतु निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रिया (SoP) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

7. गुण नियंत्रण व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण एवं विभिन्न स्तरों पर परीक्षण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति के स्वतंत्र आकलन हेतु निदेशित किया गया कि योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना के माध्यम से प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार किसी शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल, गुण नियंत्रण प्रमंडल अथवा संबद्ध अंचल की प्रयोगशाला एवं/अथवा संबंधित कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाय। उक्त निरीक्षण योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना में कार्यरत पदाधिकारियों के दो-सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें सदस्यों का स्तर कनीय अभियंता से अधीक्षण अभियंता के बीच का होगा। उक्त दल द्वारा नमूना संग्रहण, परीक्षण प्रक्रिया, अभिलेख संधारण, लंबित जाँच प्रतिवेदनों, अनुतीर्ण नमूनों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की समग्र स्थिति का परीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न अनुलग्नक-'क' के निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा। निरीक्षण के क्रम में नियमानुसार अनुमन्य यात्रा व्यय/भत्ता का वहन योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना के संगत मद से किया जायेगा।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना; एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

8. केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना के अधीनस्थ कार्यालयों में सम्पादित तकनीकी कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्य-दक्षता में अभिवृद्धि के दृष्टिगत निदेशित किया गया कि Design, Drawing, Analysis एवं Documentation से संबंधित आवश्यक तकनीकी संसाधनों (Software/Tools) की उपलब्धता की समीक्षा कर, संलग्न अनुलग्नक-'ख' के निर्धारित प्रपत्र में एक प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2026 तक अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना को उपलब्ध कराया जाय, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत क्रय संबंधी अग्रेतर कार्रवाई मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना के माध्यम से सुनिश्चित की जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना; एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना)

9. केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण अंतर्गत शोध एवं प्रशिक्षण एवं गुण नियंत्रण प्रमंडलों के मध्य कार्य-विभाजन की समीक्षा की जाय। तत्क्रम में सर्वप्रथम प्रत्येक प्रमंडल के वर्तमान क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ चालू कार्यों/योजनाओं की संख्या, नमूना संग्रहण एवं परीक्षण का औसत भार, उपलब्ध जनबल (स्वीकृत बनाम कार्यरत) तथा क्षेत्रीय विस्तार/पहुँच जैसे वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर वर्तमान कार्य-विभाजन का समेकित विश्लेषण किया जाय। उक्त विश्लेषण से यदि प्रमंडलों के मध्य कार्यभार में असंतुलन परिलक्षित होता है, तो कार्यभार के समानुपातिक एवं युक्तिसंगत आवंटन हेतु, प्रचलित क्षेत्राधिकार एवं स्वीकृत बल के अनुरूप, पुनर्विभाजन का नियमानुकूल प्रस्ताव तैयार कर, प्रस्तुत किया जाय। समस्त कार्रवाई संलग्न अनुलग्नक-'ग' के निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.07.2026 तक सम्पादित की जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

(ख) राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना

10. Dam Safety Act, 2021 (प्रवृत्त दि० 30.12.2021) के प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में अवगत कराया गया कि राज्यांतर्गत कुल 34 अदद् निर्दिष्ट डैम/बराज (30 डैम एवं 04 बराज) नामित हैं, जिनमें से समस्त 32 निर्मित निर्दिष्ट डैम/बराज का प्री-मॉनसून निरीक्षण पूर्ण कर निरीक्षण प्रतिवेदन DHARMA Portal पर अपलोड किया जा चुका है। तदालोक में निदेशित किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन निमित्त शेष आवश्यक कार्यों को ससमय सम्पादित किया जाय। साथ ही, DHARMA Portal पर अपलोड किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रति अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना; एवं निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना)

11. Dam Safety Act, 2021 की धारा-38 के अंतर्गत समस्त निर्दिष्ट डैम/बराज का Independent Panel of Experts द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के भीतर व्यापक डैम/बराज सुरक्षा मूल्यांकन (CDSE) कराया जाना विहित है। समीक्षा में अवगत कराया गया कि 19 डैम/बराज का CDSE, Dam Safety Review Panel (DSRP) द्वारा सम्पन्न हो चुका है तथा शेष निर्मित निर्दिष्ट डैम/बराज में से 13 अदद् का CDSE क्रमगत रूप से कराया जाना है। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि शेष डैम/बराज का CDSE नियत समय-सीमा के अंदर अनिवार्यतः पूर्ण कराया जाय। साथ ही, CDSE की डैम/बराज-वार अद्यतन स्थिति का समेकित प्रतिवेदन संलग्न अनुलग्नक-'घ' के निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय, तथा उक्त CDSE के प्रमुख बिंदुओं, निष्कर्षों एवं प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई पर आधारित प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना)

12. अधिनियम की धारा-32(1), 33(1), 34(1), 35(1)(a), 35(1)(b), 35(1)(d) एवं 35(1)(f) के अंतर्गत समस्त निर्दिष्ट डैम/बराज पर आवश्यक Instrumentation का अधिष्ठापन अनिवार्य है। अवगत कराया गया कि कुण्डघाट Dam पर अधिष्ठापन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा नागी, नकटी, फुलवरिया, जॉब एवं कोलमहादेव Dam सहित अन्य पर कार्य प्रगति में है; शेष डैम/बराज के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। तदालोक में निदेशित किया गया कि शेष निर्दिष्ट डैम/बराज पर Instrumentation के प्राक्कलन ससमय तैयार कराकर अधिष्ठापन कार्य में अपेक्षित गति लायी जाय, एवं अधिष्ठापित उपकरणों की डैम/बराज-वार विवरणी संलग्न अनुलग्नक-'ङ' के निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जाय। साथ ही, Instrumentation के अधिष्ठापन से डैम/बराज की कार्य-प्रणाली में परिलक्षित परिवर्तन एवं अधिष्ठापित उपकरणों से प्राप्त परिणामों के संबंध में आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना)

13. डैम/बराज की वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु आवश्यक Studies परामर्शी के माध्यम से कराये जाने के क्रम में 15 अदद् डैम/बराज के 04 पैकेजों की Financial Bid (LCS) दि० 08.06.2026 को खोली गयी एवं वित्तीय तुलनात्मक विवरणी अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग में समर्पित है; शेष 18 अदद् डैम/बराज के 06 पैकेजों का तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव विभाग में समर्पित है। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि दोनों प्रस्तावों पर अग्रेतर कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण की जाय।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना)

14. खड़गपुर झील के Revised Design Flood के अनुसार अतिरिक्त जलश्राव हेतु Spillway के स्थल चयन के क्रम में अवगत कराया गया कि परामर्शी अध्ययन में दुर्गावती, कोहिरा, फुलवरिया एवं बदुआ डैम पर भी अतिरिक्त Spillway की आवश्यकता प्रतिवेदित है। तदालोक में निदेशित किया गया कि खड़गपुर झील डैम के साथ-साथ उक्त समस्त डैम/बराज पर समेकित रूप से Flood Routing तथा Free Board Analysis Study हेतु नियमानुकूल प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार किया जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना)

15. राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना के अधीनस्थ कार्यालयों में डैम/बराज सुरक्षा संबंधी तकनीकी कार्यों – यथा Dam Safety Analysis, Instrumentation Data Processing, Documentation एवं प्रतिवेदन – की गुणवत्ता एवं कार्य-दक्षता में अभिवृद्धि के दृष्टिगत निदेशित किया गया कि इन कार्यों हेतु आवश्यक तकनीकी संसाधनों (Software/Tools) की उपलब्धता की समीक्षा कर, संलग्न अनुलग्नक-'ख' के निर्धारित प्रपत्र में एक आवश्यकता-आधारित प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2026 तक उपलब्ध कराया जाय, ताकि Dam Safety Act, 2021 के प्रावधानों, प्रचलित नियमों एवं वित्तीय अनुशासन के अनुरूप परीक्षणोपरांत, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत क्रय/उपलब्धता संबंधी अग्रेतर कार्रवाई निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन द्वारा सुनिश्चित की जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना)

(ग) समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना

16. योजना सूत्रण के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक-90 दि० 15.07.2016 के आलोक में DPR Preparation से योजना स्वीकृति तक के विभिन्न स्तरों – ToR → EoI → Inception → PPR (CWC) → ToR (MoEF&CC/SEIAA) → Draft DPR & ESIA → DPR (CWC) → TAC → MoWR Investment Clearance → PIB → Cabinet – का Flow Chart एवं तत्संबंधी संभावित समयावधि (Concept Note से DPR अनुमोदन पर्यन्त लगभग 18 माह, ESIA अनुमोदन को अपवर्जित करते हुए) प्रस्तुत किया गया। समीक्षोपरांत निदेशित किया गया कि DPR तैयार करने के क्रम में विभिन्न अवयवों में लगने वाले संभावित समय का आकलन केन्द्रीय जल आयोग (CWC) के प्रचलित मानकों/मार्गदर्शिका के अनुरूप पुनरीक्षित कर, प्रस्तुत प्रतिवेदन में आवश्यक सुधार सहित पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना)

17. कार्यों की परामर्शीवार DPR की समीक्षा में अवगत कराया गया कि – (i) सारण समेकित परियोजना के सिंचाई घटक (रू० 5868.58 करोड़) एवं बाढ़ घटक (रू० 1350.98 करोड़) (ii) दरभंगा प्रमंडल IWRM, कमला ERM (रू० 771.873 करोड़) को सलाहकार समिति से स्वीकृति प्राप्त है; एवं पश्चिमी कोसी ERM (रू० 8338.89 करोड़) का कार्य प्रगति पर है (परामर्शी को स्वीकृत Time Extension दि० 14.08.2027)। तदालोक में निदेशित किया गया कि समस्त परामर्शियों के कार्यों का सम्यक् अनुश्रवण कर EIA/EMP एवं Final DPR ससमय समर्पित कराया जाय एवं परामर्शीवार प्रगति तथा प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य-तिथि का समेकित विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना)

18. समीक्षा में सीतामढ़ी (ढेंग एवं कटौंझा), किशनगंज (तैयबपुर) बराज एवं बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष/अतिरेक जल को दक्षिण बिहार के जलाशयों में स्थानांतरित करने संबंधी योजनाओं के DPR तैयार कर रहे परामर्शी (वाप्कोस) द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पित न किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि वाप्कोस द्वारा किये जा रहे DPR संबंधी कार्यों का सतत् अनुश्रवण किया जाए, तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप वांछित प्रगति न होने पर वाप्कोस से स्पष्टीकरण प्राप्त कर, कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना)

19. इन्द्रपुरी जलाशय योजना के DPR के क्रम मे निदेशित किया गया कि कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा हेतु पृथक् बैठक निर्धारित की जाय।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-4, पटना; मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना)

20. कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के कार्यकारी DPR हेतु राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) द्वारा फेज-2 का सर्वेक्षण पूर्ण कर मुख्य/शाखा नहर एवं वितरणी का Alignment कार्य को पूर्ण कर लिया गया है; Minor/Sub-Minor Alignment Verification एवं संरचनाओं का Design & Cost Estimate कार्य प्रगति पर है। तदालोक में निदेशित किया गया कि NWDA द्वारा समर्पित कार्य कार्यक्रम के अनुरूप Final DPR अगस्त 2026 तक ससमय समर्पित कराया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना)

21. पूर्ववर्ती बैठक की कंडिका-11 के अनुपालन में पुस्तकालय को सुव्यवस्थित रखने एवं अभिलेखों के Digitization के क्रम में अवगत कराया गया कि कुल 2111 अदद् DPR/अभिलेखों के विरुद्ध 263 का Scanning एवं 217 का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कार्य पूर्ण किया गया है। Digitization कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि इसकी विस्तृत समीक्षा की जाय एवं आवश्यकतानुसार नियमानुकूल सेवा प्रदता का चयन कर Digitization कार्य अतिशीघ्र सम्पन्न कराया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना)

22. जल-विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत नदियों के गेज (River Gauge) आदि संबंधी आँकड़ों के संकलन हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन को आवश्यक सुधार हेतु समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना को वापस किया गया था, परन्तु संशोधित प्राक्कलन अब तक अप्राप्त है। इस संबंध में संयुक्त निदेशक, जल-विज्ञान निदेशालय, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि संशोधित प्राक्कलन एक दिवस के भीतर उपलब्ध करा दिया जायेगा। तदालोक में निदेशित किया गया कि उक्त प्राक्कलन में अपेक्षित सुधार कर संशोधित प्राक्कलन तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना)

(घ) जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना

23. पूर्ववर्ती बैठक की कंडिका-08 के अनुपालन में वाल्मी अवस्थित प्रयोगशाला को सुव्यवस्थित स्थिति में कार्यरत करने हेतु कार्यालय आदेश सं०-207 सह-पठित ज्ञापांक-1040 दि० 05.06.2026 द्वारा समिति गठित की गयी है (कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि दि० 15.08.2026)। समीक्षा में अवगत कराया गया कि प्रयोगशाला हेतु आपूर्तित यंत्रों/उपस्करों/अन्य को अभी तक अनपैक (unpack) नहीं किया गया है, तथा उपलब्ध यंत्रों/उपस्करों को चलाने हेतु प्रशिक्षित संचालक का अभाव भी है। तदालोक में निदेशित किया गया कि –

(i) प्रयोगशाला हेतु आपूर्तित एवं वर्तमान में उपलब्ध समस्त यंत्रों/उपस्करों/अन्य सामग्री का भौतिक सत्यापन कर, मदवार विवरण संलग्न अनुलग्नक-**'ज'** के निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाय;

(ii) आपूर्तित यंत्रों/उपस्करों/अन्य को अनपैक कर, उन्हें कार्यरत/उपयोग-योग्य अवस्था में लाने तथा यंत्रों का अंशांकन (Calibration) नियमानुकूल तत्काल कराया जाय, एवं तदुपरांत यंत्रों के नियमित अंशांकन (Calibration) एवं विधिमान्यकरण (Validation) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय;

(iii) यंत्रों के संचालन के प्रशिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार वाल्मी के कर्मियों को मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना अंतर्गत प्रयोगशाला में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना [बिन्दु i, ii एवं iii]; एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना [बिन्दु iii])

24. समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि वाल्मी के लेखा का आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit) कार्य प्रगति में है। तदालोक में निदेशित किया गया कि उक्त आंतरिक अंकेक्षण कार्य दिनांक 30.06.2026 तक अनिवार्यतः सम्पादित किया जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना)

25. पूर्ववर्ती बैठक की कंडिका-09 के अनुपालन में "Modernization and Strengthening of WALMI" हेतु रू० 331.00 करोड़ का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधान सचिव महोदय के अनुमोदनोपरांत पत्रांक-31 दि० 06.01.2026 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को समर्पित है। अवगत कराया गया कि प्रस्ताव मुख्य अभियंता, परियोजना अनुकूलन, अनुश्रवण एवं सूचना संगठन (CE, POMIO), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के माध्यम से व्यय वित समिति (EFC) के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि स्थानिक अभियंता से सतत् समन्वय स्थापित कर अनुमोदन प्रक्रिया में अपेक्षित गति हेतु प्रयास किया जाय, एवं प्रगति की अद्यतन स्थिति आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना)

26. पूर्ववर्ती बैठक की कंडिका-10 के अनुपालन में SSAP (State Specific Action Plan) के द्वितीय चरण की अंतरिम रिपोर्ट (आई०आई०टी० पटना द्वारा तैयार, वाल्मी पत्रांक-1776 दि० 30.09.2025 द्वारा समर्पित) को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक M-65055/3/2022/NWM-MOWR-Bihar/447-454 दि० 13.02.2026 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। तदालोक में निदेशित किया गया कि आई०आई०टी० पटना द्वारा समर्पित उक्त रिपोर्ट की समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना / नोडल पदाधिकारी (सदस्य सचिव), SSAP)

27. वाल्मी द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आई०आई०एम० बोधगया प्रशिक्षण सहित) पर वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में हुए व्यय – क्रमशः रू० 92.22 लाख एवं रू० 39.31 लाख – की प्रतिपूर्ति लंबित होने पर चर्चा हुई। तदालोक में निदेशित किया गया कि समर्पित प्राक्कलनों पर अग्रेतर कार्रवाई कर लंबित प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना)

28. वाल्मी परिसर अंतर्गत पुराने आवासीय भवनों की मरम्मत के संबंध में निदेशित किया गया कि भवनों की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति का आकलन कर, नये भवन निर्माण में लगने वाली अनुमानित राशि तथा पुराने भवनों की मरम्मत में लगने वाली अनुमानित राशि की तुलनात्मक विवरणी तैयार की जाय। उक्त तुलनात्मक विवरणी की समीक्षोपरांत, मितव्ययिता एवं कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए तदनुरूप नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना)

29. वाल्मी प्रक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक- 19.03.2026 को अभियंता प्रमुख, मुख्यालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वाल्मी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न निदेश दिये गये थे एवं उनके अनुपालन हेतु समय-सीमा भी निर्धारित की गयी थी। तत्क्रम में निदेशक, वाल्मी, पटना द्वारा निदेशों के अनुपालन हेतु पदाधिकारियों को नोडल नामित कर समिति का गठन किया गया तथा विभाग द्वारा अनुपालन हेतु निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित भी किया गया। उक्त बैठक सम्पन्न हुए लगभग तीन माह व्यतीत होने के उपरांत भी अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया। तदालोक में निदेशित किया गया कि उक्त बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन हेतु किये जा रहे कार्यों का समेकित साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई- निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना)

(ङ) बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केन्द्र (FMISC), गणितीय एवं भौतिक प्रतिमान केन्द्र

30. पूर्ववर्ती बैठक की कंडिका-14 के अनुपालन में FMISC अंतर्गत अधिष्ठापित RTDAS यंत्रों की वर्तमान स्थिति का GPS फोटोग्राफ (जियो-टैग्ड) सहित आकलन प्रस्तुत किया गया। BKBDP अंतर्गत स्थापित यंत्रों का एकरारनामा दि० 31.03.2026 को समाप्त होने पर तीन वर्षीय O&M हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर NIQ दि० 10.06.2026 को निर्गत की गयी है। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि RTDAS O&M की निविदा प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर समस्त यंत्रों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाय।

(कार्रवाई- संयुक्त निदेशक, FMISC, अनिसाबाद, पटना)

31. RTDAS द्वारा एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों के वास्तविक उपयोग के संबंध में समीक्षा के क्रम में संतोषजनक स्थिति परिलक्षित नहीं हुई। तदालोक में निदेशित किया गया कि RTDAS यंत्रों के अधिष्ठापन का मूल उद्देश्य, एकत्रित आँकड़ों के विभागीय कार्यों में वास्तविक उपयोग, तथा उद्देश्य-पूर्ति की अद्यतन स्थिति (कितनी मात्रा में उद्देश्य पूर्ण हुआ) का स्पष्ट एवं तथ्यपरक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

(कार्रवाई- संयुक्त निदेशक, FMISC, अनिसाबाद, पटना)

32. पूर्ववर्ती बैठक की कंडिका-16 के अनुपालन में मॉनसून तैयारी से संबंधित विभिन्न Product/App (यथा BeFIQR App) का Video Tutorial के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने हेतु निदेशित किया गया है। तदालोक में पुनः निदेशित किया गया कि Video Tutorial यके माध्यम से क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई- संयुक्त निदेशक, FMISC, अनिसाबाद, पटना)

33. विश्व बैंक संपोषित Bihar Water Security and Irrigation Modernization Project (BWSIMP) (कुल परियोजना आकार रू० 4415.00 करोड़; विश्व बैंक 70% = रू० 3090.50 करोड़, बिहार सरकार 30% = रू० 1324.50 करोड़; प्रभावशीलता तिथि 20.07.2026) की समीक्षा की गयी। घटक-1 (कोसी एवं सोन नहर कमांड) एवं घटक-2 (बागमती बायाँ तटबंध सुदृढ़ीकरण) के अंतर्गत एकरारनामा निष्पादित किया जा चुके हैं। तदालोक में निदेशित किया गया कि सोन पश्चिमी मुख्य नहर के LoA निर्गत करने हेतु पूर्व-शर्त के रूप में नहर प्रणाली के DPR का CWC से अनुमोदन तथा सारण मुख्य नहर (रू० 400 करोड़) के Tender का प्रकाशन ससमय सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई- संयुक्त निदेशक, FMISC / परियोजना निदेशक, BWSIMP)

34. घटक-3 (जल शासन) अंतर्गत PBC (Performance-Based Contract) की समीक्षा में अवगत कराया गया कि बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना III(B) अंतर्गत सिरनिया-फुहिया बागमती तटबंध के tail end पर नये तटबंध निर्माण हेतु परामर्शी (ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग) द्वारा गणितीय प्रतिमान अध्ययन में अत्यधिक विलंब (Time Overrun 833 दिन, 10 के विरुद्ध 08 Deliverable समर्पित) पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया गया। तत्क्रम में निदेशित किया गया कि दि० 19.06.2026 को प्रस्तावित SRC बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन एवं अंतरिम प्रतिवेदन-3 की समीक्षा कर शेष Deliverable (D9 Draft Final एवं D10 Final Report) को जुलाई 2026 के अंत तक पूर्ण कराया जाय तथा एकरारनामा के अनुसार नियमानुकूल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(कार्रवाई- संयुक्त निदेशक, FMISC / निदेशक, गणितीय प्रतिमान केन्द्र, पटना)

35. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) एवं बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना (BKBDP) के अवशेष कार्यों तथा भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर के एकरारनामा की समीक्षा की गयी। उल्लेखनीय है कि BKBDP का भौतिक समापन दि० 27.03.2025 एवं वित्तीय समापन दि० 11.07.2025 को हो चुका है; तदुपरांत निष्पादित कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के बजटीय प्रावधान से किया जाना है। PMC वीरपुर के Hydraulic Modelling Lab का पुनर्निविदा non-responsive पाये जाने पर NIQ दि० 14.05.2026 निर्गत कर तकनीकी निविदा दि० 08.06.2026 को खोली गयी, जिसका मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। तदालोक में निदेशित किया गया कि BKBDP अवशेष कार्यों का भुगतान नियमानुकूल राज्य बजट से सुनिश्चित किया जाय तथा वीरपुर के लंबित अधिष्ठापन/निविदा कार्यों में अपेक्षित गति लायी जाय।

(कार्रवाई- संयुक्त निदेशक, FMISC / मुख्य अभियंता, भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर)

(च) यांत्रिक, पटना

36. मुख्य अभियंता, यांत्रिक को पूर्ववर्ती बैठक में अपने प्रक्षेत्र अंतर्गत कार्यों के प्रस्तुतीकरण हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि मुख्य अभियंता, यांत्रिक आगामी बैठक में अपने प्रक्षेत्र के कार्यों से संबंधित प्रस्तुतीकरण सहित अनिवार्यतः भाग लें।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, यांत्रिक, पटना)

(छ) सामान्य

37. समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न संस्थानों/विभागों में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। प्रशिक्षण की उपयोगिता, संस्थागत क्षमता-वृद्धि तथा अर्जित ज्ञान के वास्तविक कार्यालयीन उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निदेशित किया गया कि विगत एक वर्ष अर्थात् जुलाई 2025 से अद्यतन आयोजित/प्राप्त समस्त प्रशिक्षणों का एक समेकित प्रतिवेदन दिनांक 15.07.2026 तक संकलित कर उपलब्ध कराया जाय, जिसमें प्रशिक्षण का विषय एवं उद्देश्य, आयोजक संस्था/विभाग का नाम, प्रशिक्षण की अवधि एवं दिनांक, प्रतिभागी पदाधिकारियों/अभियंताओं का नाम, पदनाम एवं कार्यालय, प्रशिक्षण से प्राप्त तकनीकी/प्रशासनिक लाभ, अर्जित ज्ञान का वर्तमान कार्यों में उपयोग, अग्रेतर अपेक्षित अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाये।

38. समीक्षा की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया कि समस्त संबंधित पदाधिकारी बैठक से संबंधित प्रस्तुतीकरण तैयार कर, बैठक की तिथि से दो कार्य-दिवस पूर्व (अर्थात् माह के द्वितीय शुक्रवार तक) निश्चित रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उक्त प्रस्तुतीकरण 10 से 15 स्लाइड के मध्य सुसंगठित रूप में रखा जाय।

39. पूर्ववर्ती बैठक (दि० 19.05.2026) की कार्यवाही में निर्गत निदेशों का ससमय अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। तदालोक में पुनः निदेशित किया गया कि उपर्युक्त समस्त निदेशों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन (Action Taken Report), इस कार्यवाही के निर्गमन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

40. भविष्य में किसी भी पदाधिकारी/अभियंता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के उपरांत आगामी समीक्षात्मक बैठक में अधिकतम 10 स्लाइड के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण की मुख्य बातें, अर्जित तकनीक, विभागीय कार्यों में उसकी उपयोगिता, संभावित लाभ एवं क्रियान्वयन संबंधी सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे; तथा संबंधित नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण मात्र औपचारिकता न रहकर विभागीय कार्यकुशलता में वास्तविक अभिवृद्धि का माध्यम बने।

30/6/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 533 पटना, दिनांक-30/06/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, यांत्रिक, पटना /मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना / मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना / निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना / मुख्य अभियंता, भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर/ परियोजना निदेशक, BWSIMP/ निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना / संयुक्त निदेशक, FMISC, अनिसाबाद, पटना /निदेशक, गणितीय प्रतिमान केन्द्र, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2 को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन प्रतिवेदन समर्पण हेतु प्रेषित।

30/6/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 533 पटना, दिनांक-30/06/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/24

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 533 पटना, दिनांक-30/06/26

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/6/27

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-1/PMC/बैठक/131/2024 533 पटना, दिनांक-30/06/24

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/6/24

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

अनुलग्नक - 'क'

भाग-(i) : विवरण

क्र०	मद	विवरण
1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	
2	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आगमन / प्रस्थान)	आगमन .... बजे / प्रस्थान .... बजे
3	निरीक्षण का माह (जिस हेतु यह निरीक्षण है)	
4	निरीक्षण दल के सदस्य (नाम, पदनाम, कार्यालय)	(i) .... (ii) ....
5	निरीक्षण के समय कार्यालय में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी	

भाग-(ii) : परीक्षण

क्र०	परीक्षण-बिन्दु	अवलोकित वास्तविक स्थिति (तथ्यात्मक/संख्यात्मक)	पायी गयी कमी/विचलन (यदि कोई हो)
1	नमूना संग्रहण (प्रचलित विशिष्टि/IS Codes के अनुरूप आवृत्ति एवं विधि)	निरीक्षण अवधि में कुल 18 नमूने संग्रहित किये गये। नमूना संग्रहण सीमेंट, बालू, गिट्टी एवं कंक्रीट कार्यो से संबंधित था। संग्रहण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया तथा नमूना संग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टि उपलब्ध पायी गयी।	02 नमूनों पर संग्रहण की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं पायी गयी। भविष्य में प्रत्येक नमूने पर तिथि, स्थान एवं कार्य का नाम स्पष्ट अंकित करने की आवश्यकता है।
2	परीक्षण प्रक्रिया (उपकरण अंशांकन/Calibration, मानक प्रक्रिया का अनुपालन)	प्रयोगशाला में उपलब्ध Compression Testing Machine, Balance एवं Sieve Set का उपयोग परीक्षण हेतु किया जा रहा है। परीक्षण सामान्यतः निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार किया गया।	Compression Testing Machine का Calibration प्रमाण-पत्र 31-03-2026 तक वैध पाया गया; नवीनीकरण की कार्रवाई अपेक्षित है।
3	अभिलेख संधारण (रजिस्टर, अंतिम प्रविष्टि तिथि, भौतिक बनाम अंकित मिलान)	नमूना संग्रहण रजिस्टर, परीक्षण रजिस्टर एवं निर्गत प्रतिवेदन रजिस्टर संधारित पाये गये। अंतिम प्रविष्टि दिनांक 15-06-2026 दर्ज पायी गयी। भौतिक नमूनों एवं रजिस्टर प्रविष्टियों का मिलान आंशिक रूप से किया गया।	03 नमूनों का भौतिक मिलान रजिस्टर प्रविष्टि से तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका। नमूनों की टैगिंग/लेबलिंग को बेहतर करने की आवश्यकता है।

क्र०	परीक्षण-बिन्दु	अवलोकित वास्तविक स्थिति (तथ्यात्मक/संख्यात्मक)	पायी गयी कमी/विचलन (यदि कोई हो)
4	लंबित जाँच प्रतिवेदन (निर्धारित अवधि से अधिक लंबित की संख्या एवं अवधि)	कुल 05 जाँच प्रतिवेदन लंबित पाये गये, जिनमें से 02 प्रतिवेदन निर्धारित अवधि से अधिक लंबित हैं। लंबित अवधि लगभग 10 से 18 दिन के बीच पायी गयी।	निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन निर्गत नहीं किया गया। लंबित प्रतिवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु अलग से निगरानी पंजी संधारित किया जाना चाहिए।
5	अनुत्तीर्ण नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (सूचना-प्रेषण एवं सुधारात्मक कार्रवाई की स्थिति)	निरीक्षण अवधि में कुल 02 नमूने अनुत्तीर्ण पाये गये। संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित पदाधिकारी को सूचना प्रेषित की गयी। एक मामले में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ बतायी गयी।	एक अनुत्तीर्ण नमूने पर सुधारात्मक कार्रवाई का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाना अपेक्षित है।
6	गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की समग्र स्थिति	गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सामान्यतः कार्यशील पायी गयी। नमूना संग्रहण, परीक्षण एवं प्रतिवेदन निर्गमन की व्यवस्था उपलब्ध है। अभिलेख संधारण किया जा रहा है।	प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर Calibration नवीनीकरण, नमूना लेबलिंग, लंबित प्रतिवेदनों की निगरानी एवं अनुत्तीर्ण नमूनों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई में।
7	अन्य		

भाग-(iii) : संख्यात्मक सार (विवरण-काल हेतु)

विवरण	संग्रहित	परीक्षित	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	परीक्षण लंबित
प्रकार-A (जिओ बैग सामग्री)	10	10	10	10	10
प्रकार-B (मिट्टी नमूना)	10	10	10	10	10
नमूनों की संख्या	20	20	20	20	20

अनुत्तीर्ण नमूनों पर कार्रवाई : सूचित प्रमंडल .... • सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण .... / लंबित ....

07 दिवसीय अवधि से अधिक लंबित जाँच प्रतिवेदन : संख्या .... • अधिकतम लंबन अवधि .... दिन

भाग-(iv) : निष्कर्ष

☐ **संतोषप्रद** ☐ **सुधार अपेक्षित** ☐ **असंतोषप्रद**

निष्कर्ष का संक्षिप्त आधार (विशिष्ट कारण सहित) : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

भाग-(v) : संस्तुति एवं उत्तरदायित्व

क्र0	चिन्हित कमी	संस्तुत सुधारात्मक कार्रवाई	उत्तरदायी पदाधिकारी	निर्धारित समय-सीमा
1	Compression Testing Machine का Calibration प्रमाण-पत्र अद्यतन/वैध नहीं पाया गया।	उपकरण का Calibration अधिकृत एजेंसी से कराकर वैध प्रमाण-पत्र अभिलेख में संधारित किया जाये। Calibration के बिना परीक्षण कार्य नहीं किया जाये।	कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल	07 दिनों के भीतर
2	कुछ नमूनों पर तिथि, स्थान एवं कार्य का नाम स्पष्ट अंकित नहीं पाया गया तथा भौतिक नमूनों का रजिस्टर से मिलान पूर्णतः स्पष्ट नहीं था।	सभी नमूनों पर यूनिक सैंपल नंबर, संग्रहण तिथि, कार्य का नाम एवं स्थान अंकित किया जाये। नमूना टैगिंग/लेबलिंग व्यवस्था को तत्काल सुदृढ़ किया जाये।	कनीय अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल	03 दिनों के भीतर
3	07 दिवसीय अवधि से अधिक लंबित जाँच प्रतिवेदन तथा अनुत्तीर्ण नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभिलेख अपूर्ण पाया गया।	लंबित प्रतिवेदन शीघ्र निर्गत किये जायें। अनुत्तीर्ण नमूनों के संबंध में संबंधित प्रमंडल से सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाये।	सहायक अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण	10 दिनों के भीतर

खण्ड-6 : प्रमाणीकरण

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर –

(i) हस्ताक्षर .... नाम/पदनाम .... दिनांक ....

(ii) हस्ताक्षर .... नाम/पदनाम .... दिनांक ....

निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति निरीक्षित कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना तथा प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना, दोनों कार्य निरीक्षण तिथि से 07 दिनों के भीतर अनिवार्यतः पूर्ण किये जायेंगे।

अनुलग्नक - 'क'

भाग-(i) : विवरण

क्र०	मद	विवरण
1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	
2	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आगमन / प्रस्थान)	आगमन .... बजे / प्रस्थान .... बजे
3	निरीक्षण का माह (जिस हेतु यह निरीक्षण है)	
4	निरीक्षण दल के सदस्य (नाम, पदनाम, कार्यालय)	(i) .... (ii) ....
5	निरीक्षण के समय कार्यालय में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी	

भाग-(ii) : परीक्षण

क्र०	परीक्षण-बिन्दु	अवलोकित वास्तविक स्थिति (तथ्यात्मक/संख्यात्मक)	पायी गयी कमी/विचलन (यदि कोई हो)
1	नमूना संग्रहण (प्रचलित विशिष्टि/IS Codes के अनुरूप आवृत्ति एवं विधि)	निरीक्षण अवधि में कुल 18 नमूने संग्रहित किये गये। नमूना संग्रहण सीमेंट, बालू, गिट्टी एवं कंक्रीट कार्यों से संबंधित था। संग्रहण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया तथा नमूना संग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टि उपलब्ध पायी गयी।	02 नमूनों पर संग्रहण की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं पायी गयी। भविष्य में प्रत्येक नमूने पर तिथि, स्थान एवं कार्य का नाम स्पष्ट अंकित करने की आवश्यकता है।
2	परीक्षण प्रक्रिया (उपकरण अंशांकन/Calibration, मानक प्रक्रिया का अनुपालन)	प्रयोगशाला में उपलब्ध Compression Testing Machine, Balance एवं Sieve Set का उपयोग परीक्षण हेतु किया जा रहा है। परीक्षण सामान्यतः निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार किया गया।	Compression Testing Machine का Calibration प्रमाण-पत्र 31-03-2026 तक वैध पाया गया; नवीनीकरण की कार्रवाई अपेक्षित है।
3	अभिलेख संधारण (रजिस्टर, अंतिम प्रविष्टि तिथि, भौतिक बनाम अंकित मिलान)	नमूना संग्रहण रजिस्टर, परीक्षण रजिस्टर एवं निर्गत प्रतिवेदन रजिस्टर संधारित पाये गये। अंतिम प्रविष्टि दिनांक 15-06-2026 दर्ज पायी गयी। भौतिक नमूनों एवं रजिस्टर प्रविष्टियों का मिलान आंशिक रूप से किया गया।	03 नमूनों का भौतिक मिलान रजिस्टर प्रविष्टि से तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका। नमूनों की टैगिंग/लेबलिंग को बेहतर करने की आवश्यकता है।

क्र०	परीक्षण-बिन्दु	अवलोकित वास्तविक स्थिति (तथ्यात्मक/संख्यात्मक)	पायी गयी कमी/विचलन (यदि कोई हो)
4	लंबित जाँच प्रतिवेदन (निर्धारित अवधि से अधिक लंबित की संख्या एवं अवधि)	कुल 05 जाँच प्रतिवेदन लंबित पाये गये, जिनमें से 02 प्रतिवेदन निर्धारित अवधि से अधिक लंबित हैं। लंबित अवधि लगभग 10 से 18 दिन के बीच पायी गयी।	निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन निर्गत नहीं किया गया। लंबित प्रतिवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु अलग से निगरानी पंजी संधारित किया जाना चाहिए।
5	अनुत्तीर्ण नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (सूचना-प्रेषण एवं सुधारात्मक कार्रवाई की स्थिति)	निरीक्षण अवधि में कुल 02 नमूने अनुत्तीर्ण पाये गये। संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित पदाधिकारी को सूचना प्रेषित की गयी। एक मामले में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ बतायी गयी।	एक अनुत्तीर्ण नमूने पर सुधारात्मक कार्रवाई का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाना अपेक्षित है।
6	गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की समग्र स्थिति	गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सामान्यतः कार्यशील पायी गयी। नमूना संग्रहण, परीक्षण एवं प्रतिवेदन निर्गमन की व्यवस्था उपलब्ध है। अभिलेख संधारण किया जा रहा है।	प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर Calibration नवीनीकरण, नमूना लेबलिंग, लंबित प्रतिवेदनों की निगरानी एवं अनुत्तीर्ण नमूनों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई में।
7	अन्य		

भाग-(iii) : संख्यात्मक सार (विवरण-काल हेतु)

विवरण	संग्रहित	परीक्षित	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	परीक्षण लंबित
प्रकार-A (जिओ बैग सामग्री)	10	10	10	10	10
प्रकार-B (मिट्टी नमूना)	10	10	10	10	10
नमूनों की संख्या	20	20	20	20	20

अनुत्तीर्ण नमूनों पर कार्रवाई : सूचित प्रमंडल .... • सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण .... / लंबित ....

07 दिवसीय अवधि से अधिक लंबित जाँच प्रतिवेदन : संख्या .... • अधिकतम लंबन अवधि .... दिन

भाग-(iv) : निष्कर्ष

☐ **संतोषप्रद** ☐ **सुधार अपेक्षित** ☐ **असंतोषप्रद**

निष्कर्ष का संक्षिप्त आधार (विशिष्ट कारण सहित) : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

भाग-(v) : संस्तुति एवं उत्तरदायित्व

क्र0	चिन्हित कमी	संस्तुत सुधारात्मक कार्रवाई	उत्तरदायी पदाधिकारी	निर्धारित समय-सीमा
1	Compression Testing Machine का Calibration प्रमाण-पत्र अद्यतन/वैध नहीं पाया गया।	उपकरण का Calibration अधिकृत एजेंसी से कराकर वैध प्रमाण-पत्र अभिलेख में संधारित किया जाये। Calibration के बिना परीक्षण कार्य नहीं किया जाये।	कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल	07 दिनों के भीतर
2	कुछ नमूनों पर तिथि, स्थान एवं कार्य का नाम स्पष्ट अंकित नहीं पाया गया तथा भौतिक नमूनों का रजिस्टर से मिलान पूर्णतः स्पष्ट नहीं था।	सभी नमूनों पर यूनिक सैंपल नंबर, संग्रहण तिथि, कार्य का नाम एवं स्थान अंकित किया जाये। नमूना टैगिंग/लेबलिंग व्यवस्था को तत्काल सुदृढ़ किया जाये।	कनीय अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल	03 दिनों के भीतर
3	07 दिवसीय अवधि से अधिक लंबित जाँच प्रतिवेदन तथा अनुत्तीर्ण नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभिलेख अपूर्ण पाया गया।	लंबित प्रतिवेदन शीघ्र निर्गत किये जायें। अनुत्तीर्ण नमूनों के संबंध में संबंधित प्रमंडल से सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाये।	सहायक अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण	10 दिनों के भीतर

खण्ड-6 : प्रमाणीकरण

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर –

(i) हस्ताक्षर .... नाम/पदनाम .... दिनांक ....

(ii) हस्ताक्षर .... नाम/पदनाम .... दिनांक ....

निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति निरीक्षित कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना तथा प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना, दोनों कार्य निरीक्षण तिथि से 07 दिनों के भीतर अनिवार्यतः पूर्ण किये जायेंगे।

अनुलग्नक - 'ख'

भाग-(i) : सामान्य विवरण

क्र०		विवरण
1	नियंत्री कार्यालय	केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना / राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना *(लागू को रखें)*
2	कार्य-प्रकृति	Design / Drawing / Analysis / Documentation / Dam Safety/ Other *(लागू को अंकित करें)*
3	प्रतिवेदन की तिथि	

भाग-(ii) : वर्तमान में उपलब्ध Hardware/Software/Tools – नाम, संस्करण एवं उपयोगिता

क्र०	उपलब्ध Software/Hardware/Tool का नाम	[illegible]	लाइसेंस की प्रकृति एवं वैधता-तिथि	क्रय-वर्ष एवं स्रोत	उपयोगकर्ता	वर्तमान स्थिति (कार्यशील/अकार्यशील)
1	*Desktop Computer*	*Dell OptiPlex 3080*	*Hardware Warranty: 3 वर्ष, वैधता: 31-03-2027*	*2024, GeM Portal*	*कार्यालय स्टाफ*	*कार्यशील*
2	*Microsoft Office*	*Office 2021 Professional Plus*	*Perpetual License, वैधता: आजीवन*	*2024, Online Purchase*	*सभी कंप्यूटर उपयोगकर्ता*	*कार्यशील*
3						
4						
5						
6						
7						

भाग-(iii) : अपेक्षित Software/License/Hardware की मदवार सूची

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उपयोगकर्ता संख्या	लाइसेंस मॉडल (Perpetual/वार्षिक) एवं अवधि	अनुमानित दर (रु0, GST सहित)	कुल राशि (दर × मात्रा)	उत्तरदायी पदाधिकारी एवं प्रस्तावित क्रय-पूर्णता तिथि	अधिप्राप्ति माध्यम (GeM/निविदा)
Software / License										
1	*Microsoft Office / Office Suite License*	*पत्राचार, रिपोर्ट, स्प्रेडशीट एवं प्रस्तुतीकरण तैयार करना*	*कार्यालय पत्र, विवरणी, रिपोर्ट एवं डाटा संकलन कार्य*	*10*	*10*	*Perpetual / आजीवन*	*12,000*	*1,20,000*	*कार्यपालक अभियंता – 31-07-2026*	*GeM*
2										
3										
4										
Hardware										
5	*Laser Printer*	*पत्र, आदेश, रिपोर्ट एवं अभिलेखों की प्रिंटिंग*	*कार्यालय पत्राचार, बिल, नोटशीट एवं अभिलेख प्रिंटिंग.*	*2*	*10*	*लागू नहीं / Warranty 1 वर्ष*	*25,000*	*50,000*	*कार्यपालक अभियंता – 31-08-2026*	*निविदा*
6										
7										
8										

भाग-(iv) : वित्तीय सारांश

क्र०	विवरण	राशि (रु० अंकों में)	राशि (रु० शब्दों में)
1	Software / License मदों का कुल व्यय		
2	Hardware मदों का कुल व्यय		
3	कुल योग		

प्रस्तावित बजट-शीर्ष : ....

भाग-(v) : क्रय हेतु अपेक्षित दस्तावेज, औचित्य एवं दक्षता-अभिवृद्धि

(v-क) संलग्न दस्तावेजों की स्थिति *(प्रत्येक मद हेतु, प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुरूप)*

क्र०	अपेक्षित दस्तावेज	तैयार/संलग्न?	संलग्नक संख्या एवं पृष्ठ-संख्या	यदि तैयार नहीं, तो प्रस्तावित तिथि
1	तकनीकी विशिष्टि (Technical Specification)	☐ हाँ ☐ नहीं	*संलग्नक-1 / पृष्ठ 1-5*	
2	प्राक्कलन (Estimate)	☐ हाँ ☐ नहीं		
3	क्रय-प्रस्ताव (Procurement Proposal)	☐ हाँ ☐ नहीं		

(v-ख) विवरणात्मक मद

1. **आवश्यकता का औचित्य** (प्रत्येक मद हेतु संक्षिप्त, कार्य-आधारित) : ....
2. **पूर्व-प्रस्ताव की स्थिति :** क्या इन संसाधनों हेतु पूर्व में कोई प्रस्ताव/माँग की गयी थी? ☐ हाँ ☐ नहीं – यदि हाँ, तो पत्रांक/दिनांक एवं वर्तमान स्थिति : .... ; यदि नहीं, तो अब तक प्रस्ताव न किये जाने का कारण : ....
3. **प्रचलित नियमों से अनुरूपता :** प्रस्तावित अधिप्राप्ति-प्रक्रिया (बिहार वित्त नियमावली/GFR/प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के संदर्भ सहित) : ....
4. **अपेक्षित दक्षता-अभिवृद्धि (Possible Efficiency Enhancement) :** मापनीय रूप में – यथा प्रक्रिया-समय में कमी, परिशुद्धता-वृद्धि, मानव-श्रम की बचत : ....
5. **विधिक/कार्यात्मक आवश्यकता :** (राज्य बाँध सुरक्षा संगठन हेतु – Dam Safety Act, 2021 के सुसंगत प्रावधान का उल्लेख, यदि लागू हो) : ....

अनुलग्नक - 'ग'

क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रमंडलों के मध्य कार्य-विभाजन की समीक्षा/विश्लेषण एवं (आवश्यकतानुसार) युक्तिसंगत पुनर्विभाजन प्रस्ताव

कार्यालय : केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना प्रतिवेदन की तिथि : ....

भाग-(i) : प्रमंडल-वार वर्तमान कार्य-विभाजन

क्र0	(i) गुण नियंत्रण प्रमंडल का नाम	(ii) वर्तमान क्षेत्राधिकार (प्रखंड)	(iii) आवंटित [illegible] कार्यों/योजनाओं की संख्या	(iv) प्रस्तुत सत्यापन/परीक्षण का औसत मासिक भार	(v) स्वीकृत [illegible]	(vi) [illegible]	(vii) क्षेत्रीय विस्तार/पहुँच (विषमता/सुगमता)	(viii) कार्यभार-स्तर (अधिक/संतुलित/न्यून)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

भाग-(i) के विश्लेषण का निष्कर्ष : क्या प्रमंडलों के मध्य कार्यभार में असंतुलन परिलक्षित होता है? ☐ हाँ ☐ नहीं

(यदि 'नहीं', तो भाग-(ख) अप्रासंगिक होगा एवं तदाशय की टिप्पणी भाग-(ग) में अंकित की जाय; यदि 'हाँ', तो भाग-(ख) अनिवार्यतः भरा जाय।)

भाग-(ii) : प्रस्तावित पुनर्विभाजन (केवल असंतुलन परिलक्षित होने की स्थिति में)

क्र0	प्रमंडल का नाम	प्रस्तावित संशोधित क्षेत्राधिकार	स्थानांतरित किये जाने वाले प्रखंड/कार्य (यदि कोई हो)	पुनर्विभाजन का औचित्य ([illegible])	प्रस्तावित प्रभावी तिथि
1					
2					
3					
4					
5					
6					

भाग-(iii) : प्रमाणीकरण

टिप्पणी/संस्तुति : ....

....

....

....

प्रस्ताव तैयारकर्ता – हस्ताक्षर .... पदनाम .... दिनांक ....

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना – हस्ताक्षर .... दिनांक .... (कार्यालय मुहर)

अनुलग्नक - 'घ'

व्यापक डैम/बराज सुरक्षा मूल्यांकन (CDSE) – अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन

नियंत्री कार्यालय : राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना प्रतिवेदन की तिथि : ....

भाग-(i) : डैम/बराज-वार CDSE स्थिति

क्र0	(i) डैम/बराज का नाम [illegible]	(ii) DSRP Team के Visit की तिथि	(iii) CDSE Report की स्थिति (Preliminary/Final)	(iv) Report [illegible] तिथि	(v) SDSO द्वारा स्वीकृति/टिप्पणी की तिथि	(vi) प्रमुख तकनीकी टिप्पणियाँ	(vii) आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई	(viii) लंबित कार्यों का कारण	(ix) प्रत्येक शेष चरण हेतु तिथि-वार लक्ष्य	(x) जिम्मेदार पदाधिकारी/कार्यालय
1	चंदन डैम, बांका	08-06-2026 से 09-06-2026	प्रारंभिक निरीक्षण पूर्ण, Report तैयारीाधीन	अपेक्षित: 05-07-2026	लागू नहीं	Spillway approach, power backup एवं instrumentation functionality की विस्तृत जाँच अपेक्षित।	Detailed field survey, instrumentation testing एवं power backup proposal तैयार करना।	Field survey data एवं equipment testing report लंबित।	Field survey: 30-06-2026 तक; testing report: 05-07-2026 तक; Preliminary CDSE Report: 15-07-2026 तक।	कार्यपालक अभियंता, चंदन डैम प्रमंडल
2	ओढ़नी डैम, बांका	02-06-2026	Preliminary	18-06-2026	टिप्पणी लंबित	Settlement markers एवं piezometer readings का नियमित अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया।	Instrument reading schedule लागू करना, पुरानी readings digitize करना एवं missing records का सत्यापन।	रिकॉर्ड digitization हेतु कर्मी/तकनीकी सहयोग की कमी।	Reading schedule: 01-07-2026 से; digitization: 31-07-2026 तक; revised compliance: 10-08-2026 तक।	कनीय अभियंता/सहायक अभियंता

नोट : *जिन डैम/बराज का CDSE पूर्ण नहीं हुआ है, उनके प्रत्येक शेष चरण हेतु स्तंभ (ix) में स्पष्ट तिथि-वार समयबद्ध कार्यक्रम अनिवार्यतः अंकित किया जाय एवं नियमित अनुश्रवण कर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।*

संकलनकर्ता – हस्ताक्षर .... पदनाम .... दिनांक ....

निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना – हस्ताक्षर .... दिनांक .... (कार्यालय मुहर)

अनुलग्नक - 'ङ'

डैम/बराज-वार सुरक्षा उपकरण (Instrumentation) – उपलब्धता एवं अधिष्ठापन प्रतिवेदन

नियत्री कार्यालय : राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना

प्रतिवेदन की तिथि : ....

भाग-(i) : डैम/बराज-वार उपकरण स्थिति

क्र.	(i) [illegible]	(ii) [illegible]	(iii) [illegible]	(iv) [illegible]	(v) Calibration/Maintenance की स्थिति	(vi) उपकरण अनधिष्ठापित होने का कारण	(vii) अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना	(viii) तिथि-वार लक्ष्य	(ix) वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की स्थिति	(x) जिम्मेदार पदाधिकारी
1	सोन बराज, इंद्रपुरी	जलस्तर मापक, Uplift Pressure Gauge, Seepage Measuring Device, CCTV, Warning Siren	कुल 18 उपकरण – जलस्तर मापक 04, Pressure Gauge 06, Seepage Device 04, CCTV 02, Siren 02	15 कार्यशील, 03 अकार्यशील	Calibration मई 2026 में किया गया; 03 उपकरणों की मरम्मत लंबित	पुराने उपकरणों में सेंसर खराबी एवं केबल क्षतिग्रस्त	खराब उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन तथा CCTV कवरेज बढ़ाना	15-07-2026 तक मरम्मत, 31-07-2026 तक परीक्षण	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त; वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन	कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल
2	दुर्गावती जलाशय/डैम	Piezometer, Settlement Gauge, Rain Gauge, Seepage Measuring Device, Siren	कुल 12 उपकरण – Piezometer 04, Settlement Gauge 02, Rain Gauge 02, Seepage Device 02, Siren 02	10 कार्यशील, 02 अकार्यशील	Maintenance मई 2026 में किया गया; 02 उपकरणों की सर्विसिंग लंबित	स्पेयर पार्ट उपलब्ध नहीं	स्पेयर पार्ट क्रय कर उपकरणों की मरम्मत एवं पुनः परीक्षण	31-07-2026 तक मरम्मत, 10-08-2026 तक परीक्षण	वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन	सहायक अभियंता, बाँध सुरक्षा

नोट : जहाँ उपकरणों का अधिष्ठापन लंबित है, वहाँ स्तंभ (vi) में कारण की समीक्षा कर स्तंभ (viii) में तिथि-वार लक्ष्य निर्धारित किया जाय तथा सतत् अनुश्रवण के माध्यम से अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाय। उपकरण आवश्यकता का निर्धारण Dam Safety Act, 2021 एवं प्रचलित तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जाय।

संकलनकर्ता – हस्ताक्षर .... पदनाम .... दिनांक ....

निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, अनिसाबाद, पटना – हस्ताक्षर .... दिनांक .... (कार्यालय मुहर)

अनुलग्नक - 'च'

वाल्मी प्रयोगशाला – यंत्रों/उपस्करों की मदवार विवरणी एवं अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन

कार्यालय : जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना प्रतिवेदन की तिथि : ....

भाग-(i) : यंत्र/उपस्कर/अन्य-वार विवरणी एवं स्थिति

क्र0	(i) यंत्र/उपस्कर/सामग्री का नाम	(ii) उपभोग्य/गैर-उपभोग्य सामग्री	(iii) मॉडल/संस्करण एवं निर्माता	(iv) आपूर्तिकर्ता/पत्रांक एवं तिथि	(v) संख्या	(vi) अनपैक की स्थिति (अनपैक/अनपैक नहीं)	(vii) कार्यशील स्थिति (कार्यशील/अकार्यशील) (यदि लागू हो)	(viii) अंशांकन (Calibration) की स्थिति एवं तिथि (यदि लागू हो)	(ix) विधिमान्यकरण (Validation) की स्थिति (यदि लागू हो)	(x) टिप्पणी
1										
2										

भाग-(ii) : संख्यात्मक सार

विवरण	संख्या	टिप्पणी
कुल आपूर्तित यंत्र/उपस्कर/सामग्री		
इनमें गैर-उपभोग्य (यंत्र/उपस्कर)		
इनमें उपभोग्य सामग्री		
पूर्व से अनपैक (उपभोग्य)		
पूर्व से अनपैक (गैर-उपभोग्य)		
कार्यशील अवस्था में (लागू मदों में)		
अकार्यशील अपेक्षित (लागू मदों में)		
अंशांकन (Calibration) पूर्ण (लागू मदों में)		
विधिमान्यकरण (Validation) पूर्ण (लागू मदों में)		

भाग-(iii) : टिप्पणी

....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी प्रयोगशाला की वास्तविक भौतिक स्थिति पर आधारित है तथा समिति के पर्यवेक्षण में संकलित की गयी है।

निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना – हस्ताक्षर .... दिनांक .... (कार्यालय मुहर)